

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (JWSM) समिति की दिनांक-29.10.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ तख्तगत दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 29.10.2022 को जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

1	श्री विद्यानाथ शुक्ल, मुख्य विकास अधिकारी, बागपत	-	उपस्थित
2	प्रिया गर्ग, नायब तहसीलदार, बडौत	-	सदस्य
3	श्री उत्कर्ष भारद्वाज, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बडौत	-	सदस्य
4	श्री अमित त्यागी, जिला पंचायत राज अधिकारी, बागपत	-	सदस्य
5	श्री राहुल भाटी, जिला सूचना अधिकारी, बागपत	-	सदस्य
6	श्री सौरभ चौधरी, सहायक अभियन्ता, नैलकूप, बागपत	-	सदस्य
7	श्री सतीश कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, खेकड़ा	-	सदस्य
8	श्रीमति स्नेहिका चौधरी, खण्ड विकास अधिकारी, पिलाना	-	सदस्य
9	श्री राजीव कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, विनौली	-	सदस्य
10	श्री सजय कुमार, सहायक जिला कृषि रक्षा अधिकारी, बागपत	-	सदस्य
11	श्री प्रवेन्द्र कुमार, सी०एम०एस० कृषि, बागपत	-	-
12	श्री अमर सिंह, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, बागपत	-	-
13	श्री एन०सी० शर्मा, ए०आर०टी०ओ० (एडि०), बागपत	-	-
14	श्री अजनीश पाल शर्मा, चकबन्दी अधिकारी, बडौत	-	-
15	श्री राजेश सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बागपत	-	-
16	श्री एन०के०सिंह, जिला युवा कल्याण अधिकारी, बागपत	-	-
17	श्री माधव मुकुन्द, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बागपत	-	सदस्य
18	श्री हरी प्रसाद शर्मा, जनरल मैनेजर मै० एल०सी० इन्वार्ड, अहमदाबाद	-	सदस्य
19	श्री अनिल कुमार यादव, डिस्ट्रिक्ट कॉन्डिनेटर मै० मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि०,	-	सदस्य
20	श्री मोनू राणा, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी)	-	सदस्य
21	श्री सुरेश चन्द शुक्ला, मै० आर०एम०ई० सोसाईटी, नई दिल्ली	-	सदस्य
22	श्री मूलचन्द, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण), बागपत	-	सदस्य सचिव

(i) पिछली बैठक की पुष्टि-

उपस्थित सदस्यों द्वारा पिछली सम्पन्न बैठक की पुष्टि की गयी।

(ii) डी०पी०आर० विरचन कार्य-

श्री मूलचन्द, अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञापन सं० 1197/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 के दिनांक 21.05.2021 के द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै०

Handwritten signatures and dates:
 02/11/22
 02/11/22

एल0सी0 इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, 409 इस्कॉन एलिगेन्ट्स, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कौसिंग रोड, एस0जी0 हाइवे, अहमदाबाद द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराने है। पूर्व में 07, 34, 05, 19, 09, 27, 07 एवं 17 कुल 124 ग्रामों की 119 डी0पी0आर0 पाईप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन सम्बंधित फर्म द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराये गये थे। जिन्हें जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दिनांक-07.06.2021, दिनांक-09.07.2021, दिनांक-23.07.2021, दिनांक-31.07.2021, दिनांक-27.08.2021, दिनांक-12.10.2021, दिनांक-22.10.2021 एवं दिनांक-16.09.2022 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ को स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

वर्तमान में 11 नग पेयजल योजनाओं (15 ग्रामों) की डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है। समस्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा उ0प्र0 जल निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप जाँच करने के उपरान्त तकनीकी रूप से अहं पाया गया है। डी0पी0आर0 की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सैंटेज तथा नियमानुसार जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सैंटेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा योजना की लागत के अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय का प्राविधान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार योजना हेतु Per Capita Cost के आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेन्सी तथा जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है।

बैठक में विचारोपरान्त शासनादेश सं0-51/2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25सम/ 2019, नगामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2021 के अनुसार रु0 5.00 करोड़ से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा एवं रु0 5.00 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी है। समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये निम्नानुसार 11 योजना (15 ग्राम) के विस्तृत प्राक्कलनों जिनकी लागत रु0 5 करोड़ से कम है की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, बागपत द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति हेतु संस्तुति करने का भी निर्णय लिया गया है-

क्र. सं.	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख)	सैंटेज (लाख)	कुल लागत (लाख)	प्रति व्यक्ति लागत अमिकल्पित वर्ष 2052 (रु.)
1	पूठी ब्राह्मण	बागपत	2	496	222.63	23.58	246.21	6397
2	जहानगढ़ उर्फ दोड़ा	बागपत	2	402	194.89	20.62	215.31	6331
3	बिहारपुर	बागपत	1	358	165.15	17.49	182.64	6061

4	सन्तोषपुर	बागपत	1	450	185.05	19.6	204.65	4537
5	जाफराबाद आढ़ापुर	बडौत	2	437	228.71	24.23	252.94	5916
6	आरिफपुर खेड़ी	बडौत	1	323	167.03	17.69	184.72	6368
7	वाजिदपुर	बडौत	1	1447	452.09	47.89	499.98	3771
8	कान्हड तालाबपुर	बिनीली	1	296	190.03	20.13	210.16	7586
9	भागोट	खेकडा	1	693	260.91	27.64	288.55	4058
10	खैला	खेकडा	1	334	177.93	18.85	196.78	6387
11	मकरन्दपुर ओगटी	पिलाना	2	242	155.62	16.49	172.11	8560

उपरोक्त 11 पेयजल योजना हेतु प्रस्तुत किये गये प्राक्कलनों में से 8 प्राक्कलन एवं पूर्व में प्रेषित किये गये कुल 119 प्राक्कलनों में से 13 प्राक्कलन इस प्रकार कुल 21 प्राक्कलन Non-Compliance है। Non-Compliance प्राक्कलन का विस्तृत परीक्षण किया गया ग्रामों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार योजनाओं में प्राविधानित किये गये कार्य वास्तविकता के अनुसार है। निर्गत गाईडलाइन के अनुसार प्राक्कलन पुनरीक्षित करने के उपरान्त भी प्राक्कलन को Compliance किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः समिति द्वारा विशेष परिस्थितियों में प्राक्कलन स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख)	सेटज (लाख)	कुल लागत (लाख)	प्रति व्यक्ति लागत अमिकल्पित वर्ष 2052(रु.)	Non-Compliance की स्थिति
1	बाम	बडौत	1	290	191.16	21.34	212.50	9738	Per FHTC Cost>35000 (54790)
2	पूठड	पिलाना	1	418	223.57	24.95	248.52	6167	Per FHTC Cost>35000 (47285)
3	रामनगर	पिलाना	1	244	144.419	18.05	162.469	5178	Per FHTC Cost>35000 (50266)
4	अमीरपुर बालैनी	पिलाना	1	888	342.98	42.87	385.85	4358	Per FHTC Cost>35000 (41483)
5	गौरीपुर हबीबपुर	बागपत	1	218	135.44	16.93	152.37	5418	Per FHTC Cost>35000 (55685)
6	नगला जाफराबाद	बागपत	1	250	158.64	17.71	176.35	5444	Per FHTC Cost>35000 (63869)
7	बिहारीपुर	बागपत	1	358	165.15	17.49	182.64	6061	Per FHTC Cost>35000 (45500)
8	सन्तोषपुर	बागपत	1	450	185.05	19.6	204.65	4537	Per FHTC Cost>35000 (41603)
9	फतेहपुर पुदूठी	बागपत	1	655	289.18	32.27	321.45	5143	Per FHTC Cost>35000 (40185)
10	सूरजपुर मेहनवा	बागपत	1	393	191.06	23.88	214.94	5041	Per FHTC Cost>35000 (49945)
11	क्यागपुर	बागपत	1	308	160.481	20.06	180.54	5134	Per FHTC Cost>35000 (52901)

12	आरिफपुर खेडी	बडीत	1	323	167.03	17.69	184.72	6368	Per FHTC Cost>35000 (51711)
13	हजूरबाद गढी	बिनीली	1	288	172.266	21.53	193.80	5077	Per FHTC Cost>35000 (53912)
14	कान्हड तालाबपुर	बिनीली	1	296	190.03	20.13	210.16	7586	Per FHTC Cost>35000 (64205), Per Capita Cost>7000 (7887)
15	आनन्दपुर उर्फ बन्दपुर	खेकडा	1	315	152.52	19.06	171.58	3072	Per FHTC Cost>35000 (452005)
16	सुमानपुर	खेकडा	1	196	131.928	16.49	148.425	5420	Per FHTC Cost>35000 (42263)
17	भागोट	खेकडा	1	693	260.91	27.64	288.55	4058	Per FHTC Cost>35000 (37374)
18	खैला	खेकडा	1	334	177.93	18.85	196.78	6387	Per FHTC Cost>35000 (53268)
19	चमरावल	पिलाना	1	735	311.47	34.76	346.23	4450	Per FHTC Cost>35000 (36862)
20	सलावतपुर खेडी	पिलाना	1	364	184.57	23.07	207.64	4942	Per FHTC Cost>35000 (56566)
21	मकरन्दपुर ओगटी	पिलाना	2	242	155.62	16.49	172.11	8560	Per Capita Cost>7000 (8559)

(iii) त्रिपक्षीय अनुबंध गठन/कवर एग्रीमेन्ट का निष्पादन :-

जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0. एवं टी0सी0ई0एल0 जे.पी. 409 इस्कॉन ऐलिगेन्टस, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कौसिंग रोड, एस.जी. हाइवे, अहमदाबाद द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कवर एग्रीमेन्ट सं0-188/ईडी/2021-22, दिनांक-18.11.2021 के द्वारा 35 पेयजल योजनाओं के आवरण अनुबंध राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निष्पादित किये जा चुके हैं। आवरण अनुबंध के अनुसार उक्त योजनाओं के कार्य प्रारम्भ तिथि 18.11.2021 प्रदान की गयी है।

फर्म द्वारा उक्त के अतिरिक्त 36 पाईप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराये गये है जिनके सापेक्ष 35 पेयजल योजनाओं के कवर एग्रीमेन्ट सं0-261 / ईडी/2021-22/II, दिनांक-09.02.2022 के द्वारा 35 पेयजल योजनाओं के आवरण अनुबंध राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निष्पादित किये जा चुके हैं। आवरण अनुबंध के अनुसार उक्त योजनाओं के कार्य प्रारम्भ तिथि 09.02.2022 प्रदान की गयी है।



फर्म द्वारा उक्त के अतिरिक्त 04 पाईप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराये गये है जिनके सापेक्ष निम्न 04 पेयजल योजनाओं के कवर एग्रीमेन्ट सं०-48/ईडी/फेज-2/2022-23/III, दिनांक-06.08.2022 के द्वारा 04 पेयजल योजनाओं के आवरण अनुबंध राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निष्पादित किये जा चुके हैं। आवरण अनुबंध के अनुसार उक्त योजनाओं के कार्य प्रारम्भ तिथि 06.08.2022 प्रदान की गयी है।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत अवशेष 17 नग पेयजल योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबंध गठन करने हेतु निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उपरोक्तानुसार निष्पादित कवर अनुबंधों के अनुसार 74 नग (35+35+4) पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्यो को तकनीकी विशिष्टियों तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार गुणवत्ता का ध्यान रखते हुये तीव्रता के साथ पूर्ण कर शासन की मंशा के अनुसार योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाये।

(iv) कवर अनुबंध के सापेक्ष पेयजल योजनाओं की कार्य स्थल पर निर्माण की स्थिति :-

जनपदान्तर्गत स्वीकृत 91 पाईप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 74 पेयजल योजनाओं हेतु आवरण अनुबंध निष्पादित किये गये हैं। अद्यतन 64 नलकूप के बोरिंग का कार्य पूर्ण है, जिसमें से फर्म द्वारा 60 नग नलकूप का ही विकास कार्य पूर्ण किया गया है। साथ ही 34 नग पेयजल योजनाओं की जलकल परिसर की चारदीवारी का कार्य निर्माणाधीन है तथा 46 ग्रामों में 144 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछायी गयी है जिनमें लगभग 9895 गृह संयोजन दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त 29 पेयजल योजनाओं के उच्च जलाशय के डिजाइन/ड्राइंग उपलब्ध कराये गये है, जिसका परीक्षण किया जा चुका है। शेष उच्च जलाशय के संरचनाओं का डिजाइन/ड्राइंग फर्म के स्तर पर लम्बित है। उक्त 29 के सापेक्ष 22 उच्च जलाशय के कार्य निर्माणाधीन है। निर्माण कार्यो की उक्त प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। कराये गये कार्यो के सापेक्ष ₹0-17.075 करोड का भुगतान फर्म को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा किया जा चुका है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि श्री एच०पी० शर्मा को मैनपावर बढ़ाकर कार्यो में तथा लक्ष्यानुसूच वांछित एफ०एच०टी०सी० की प्रगति को बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया। श्री एच०पी० शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम शिकोहपुर (विकास खण्ड-बागपत) एवं ग्राम बली (विकास खण्ड-बागपत) के ग्राम प्रधानों द्वारा कार्य करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, बागपत को उक्त ग्राम प्रधानों से सम्पर्क कर उनकी समस्या का समाधान करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त ग्राम किरठल (विकास खण्ड-छपरीली) में बने नलकूप के पम्प हाउस में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कब्जा कर उसमें रहने की शिकायत के सम्बंध में भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित ए०डी०ओ० पंचायत, छपरीली को उक्त पम्प हाउस को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिये गये। श्री माधव मुकुन्द सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जिलाधिकारी महोदय, बागपत को संज्ञानित किया गया कि ग्राम किरानपुर (विकास खण्ड बडीत) की पेयजल योजना का ग्राम प्रधान द्वारा हस्तगत नहीं किया जा रहा है इस पर उनके द्वारा आगामी बैठक में ग्राम प्रधान को बुलाने हेतु निर्देशित किया गया।

इसके अतिरिक्त विकास खण्ड पिलाना, बडौत, बिनीली एवं छपरौली में नामित आई०एस०ए० ग्रामीण विकास ट्रस्ट द्वारा ग्राम धनौरा टीकरी में रु. 1.00 लाख से अधिक की जल मूल्य की वसूली करने पर प्रशंसा की गयी तथा अन्य ग्राम पंचायतों से भी इसी तरह के प्रयास कर जल मूल्य वसूली हेतु प्रेरित किया जाये।

(v) भूमि उपलब्धता:-

वर्तमान में जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं की विरचित की जा रही डी०पी०आर० हेतु जलकल परिसर की भूमि उपलब्धता के सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा की गयी। अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत द्वारा सूची सहित अवगत कराया गया कि निम्न 10 ग्रामों में अद्यतन भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है। निहित सूची की ग्रामवार समीक्षा की गयी जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

जनपद में कुल राजस्व ग्राम	मौके पर गैर आबाद ग्राम	पूर्व से पेयजल योजनाओं से आच्छादित ग्रामों की संख्या (पुर्नगठन हेतु प्रस्तावित योजनाओं को छोड़कर)	जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	जिन ग्रामों में भूमि उपलब्ध है	उन ग्रामों की संख्या जिनके प्राक्कलन विरचित किये जा चुके हैं	शेष ग्रामों की संख्या जिनकी डी०पी०आर० विरचित की जा जानी है	शेष विरचित डी०पी०आर० के सापेक्ष भूमि की उपलब्धता	भूमि अप्राप्त
305	31	83	191	181	140	51	41	10

उक्त 10 ग्रामों में से 4 (फखरपुर मौहम्मदशाहपुर, हाजीपुर वीरान, नूरपुर खालसा, एवं करीमपुर) ग्रामों को नजदीकी ग्राम के साथ ग्राम समूह पेयजल योजना बनाकर आच्छादित किया जायेगा। उक्त ग्रामों में प्राथमिकता पर भूमि की व्यवस्था कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बंधित फर्म को निर्देशित किया गया कि अपने स्तर से सम्बंधित लेखपाल एवं उपजिलाधिकारियों से सम्पर्क कर उक्त ग्रामों की भूमि का प्रस्ताव प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जिन ग्रामों में भूमि के चिन्हांकन में विवाद आ रहे हैं उनमें सम्बंधित लेखपाल एवं उपजिलाधिकारियों से सम्पर्क कर भूमि का चिन्हांकन प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

(vi) नामित सपोर्ट एजेंसियों की गतिविधियां:-

► जनपद बागपत हेतु नामित आई०एस०ए०:-

► 1-मै० आर०एम०ई० सामुदाय बाल विकास सोसायटी, नई दिल्ली।

► 2- मै० ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नौयडा।

► जनपद बागपत में नामित दोनों आई०एस०ए० को कलस्टर का आवंटन निम्नानुसार किया गया है:-

क०स०	संस्था का नाम	आवंटित विकास खण्ड का नाम
1	आर०एम०ई० सामुदाय बाल विकास सोसायटी, 1/16 मिट्ठापुर एक्सटेंशन साईनगर बदरपुर, नई दिल्ली-110044।	1-बागपत (44 ग्राम पंचायत)। 2-खेकडा (36 ग्राम पंचायत)।
2	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए-विंग, कृमकोमवन, ए-10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर, (उ०प्र०)	1-पिलाना (41 ग्राम पंचायत)। 2-बडौत (44 ग्राम पंचायत)। 3-छपरौली (26 ग्राम पंचायत)। 4-बिनीली (53 ग्राम पंचायत)।

अधिकासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत द्वारा अवगत कराया गया कि Cultural Activity/Nukkad Natak के कार्य के सापेक्ष में आर०एम०ई० समुदाय बाल विकास सोसाईटी, 1/16 मिठानपुर एक्सटेशन साईनगर बदरपुर, नई दिल्ली-110044 द्वारा अपने पत्रांक-RME/BAGHPAT-JJMUP/2022-23/545 DATED-19-09-2022 विकास खण्ड बागपत एवं खेकड़ा में Cultural Activity/Nukkad Natak के कार्य पूर्ण कर भुगतान हेतु देयक उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं। इसी प्रकार में ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए-विंग, कृमकोमवन, ए-10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर, (उ०प्र०) द्वारा अपने पत्रांक-GVT/JJM-बागपत/09/22, दिनांक-20.09.2022 द्वारा विकास खण्ड पिलाना, बडौत, छपरीली एवं विनीली में Cultural Activity/Nukkad Natak के कार्य पूर्ण कर भुगतान हेतु देयक उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं। निम्न विवरणानुसार प्रस्तुत देयकों को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, बागपत द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को भुगतान हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	आई०एस०ए० का नाम	आवृत्ति विकास खण्ड का नाम/ ग्रामों की संख्या	कार्य की मात्रा	दर (रु० में)	घनराशि (रु० में)
1	Cultural Activity/Nukkad Natak	मै० आर०एम०ई० एवं सामुदायिक बाल विकास सोसाईटी, नई दिल्ली	1-बागपत (44 ग्राम)।	प्रत्येक ग्राम में 01 नुककड नाटक का आयोजन	4760 / -	209440 / -
2			2-खेकड़ा (36 ग्राम)।		4760 / -	171360 / -
	कुल योग					380800 / -
1	Cultural Activity/Nukkad Natak	मै० ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोएडा	1-पिलाना (41 ग्राम)।	प्रत्येक ग्राम में 01 नुककड नाटक का आयोजन	4760 / -	195160 / -
2			2-बडौत (44 ग्राम)।		4760 / -	209440 / -
3			3-छपरीली (26 ग्राम)।		4760 / -	123760 / -
4			4-बिनीली (53 ग्राम)।		4760 / -	252280 / -
	कुल योग					780640 / -

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक का समापन किया गया।

अधिकासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत

५५

पृ० सं० 2624 / वि०-3

/ 158

दिनांक 31-10-2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, प्रथम तल, मल्टीपरपज हॉल, किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
6. जिलाधिकारी, बागपत।
7. मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।
8. जिला विकास अधिकारी, बागपत।
9. जिला वनाधिकारी, बागपत।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागपत।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत।
12. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, बागपत।
13. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बागपत।
14. जिला कृषि अधिकारी, बागपत।
15. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बागपत।
16. उपजिलाधिकारी, बागपत/बडौत/खेकडा।
17. खण्ड विकास अधिकारी, बागपत/बडौत/खेकडा/पिलाना/बिनौली/छपरौली।
18. मै० एल०सी० इन्फा प्रोजेक्ट प्रा०लि० एवं टी०सी०ई०एल० जे०वी०, 409 इस्कॉन एलिगेन्ट्स, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड, एस०जी० हाइवे, अहमदाबाद।
19. मै० आर०एम०ई० समुदाय बाल विकास सोसाईटी, बस्ती विकास केन्द्र, एनटीपीसी गेट-1, बीआईडब्लू कॉलोनी, बदरपुर नई दिल्ली-110044।
20. ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए-विंग, कृमको भवन, ए-10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला-गोतमबुद्धनगर।
21. मै० मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि०, मेघज टॉवर, आशियाना कानपुर रोड, लखनऊ-2260121।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत

